

कार्यक्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अशोक परिहार बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 20 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अशोक परिहार, पता बासनी तम्बोलिया माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.11.2019 में उसके द्वारा (1) श्री बीरबलराम विश्नोई पटवारी मगरा पूंजला पर पटवारी कार्यग्रहण दिनांक से आज तक उनके विरुद्ध कितनी शिकायते प्राप्त हुई, उनके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही तहसील विभाग स्तर पर की गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	